



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of MS&ME, Govt. of India)

कयर हाउस, एम.जी.रोड., कोची - 682016

Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016

तार/ Gram : COIR BOARD

दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397

ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in

वेब/ Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

ए-59/54/2017-प्रशा(का)

29.12.2017

परिपत्र

एमएसएमई मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सचिवालय कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका (सीएसएमओपी) में यह बताया गया है कि सांसदों से प्राप्त प्रत्येक पत्राचार के लिए 15 दिनों के अंदर अभिस्वीकृति देनी है और अभिस्वीकृति भेजने के अगले 15 दिनों के भीतर उत्तर भी प्रस्तुत करना है। अतः सभी अधिकारियों / कर्मचारियों से अनुरोध है कि इसका सख्ती से अनुपालन करें और सांसदों से प्राप्त पत्रों का निर्धारित समय के भीतर बिना चूक उत्तर प्रस्तुत करें।

यह सचिव, कयर बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


संयुक्त निदेशक (यो)

सेवा मे:

1. मुख्यालय के सभी अनुभाग/शाखाधिकारी
2. सभी उप कार्यालयों और एसआर व एसडीयों
3. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड
4. कयर बोर्ड वेबसाइट



कयर बोर्ड Coir Board

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of MS&ME, Govt. of India)

कयर हाउस, एम.जी.रोड., कोची - 682016

Coir House, M.G. Road, Kochi - 682016

तार/ Gram : COIR BOARD

दूरभाष/ Ph : 0484-2351954, 2351807, 2351788

फैक्स / Fax : 0484-2370034, 2354397

ई-मेल/ E-mail : coir@md2.vsnl.net.in

वेब/ Web : www.coirboard.nic.in, www.coirboard.gov.in

A-59/54/2017-ADM(PERSONNEL)

29.12.2017

CIRCULAR

The Ministry of MSME has informed that the Central Secretariat Manual of Office Procedure (CSMOP) provides that each communication received from the Members of Parliament will be acknowledged within 15 days, followed by reply within next 15 days of acknowledgement sent. Therefore, all the Officers /staff are requested to comply with this stipulation, scrupulously and furnish reply to the letters received from the Members of Parliament within the time frame stipulated, without fail.

This issues with the approval of Secretary, Coir Board.

JOINT DIRECTOR (Plg.)

To

1. All Sections/ Branch Officers in Head Office
2. All Sub Offices and SR&SDs
3. E-Office Notice Board
4. Coir Board Website